

स्टार्टअप को गति देगा मिशन, प्रोत्साहन के लिए एक हजार करोड़ रुपये का फंड

योगी सरकार ने दी **उग्र स्टार्टअप नीति को मंजूरी** 50 हजार युवाओं को मिलेंगे मौके

राज्य ब्यूरो, जागरण • लखनऊ : उत्तर प्रदेश को देश में नवाचार और स्टार्टअप का सबसे बड़ा केंद्र बनाने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026 और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन को स्वीकृति दी गई। नई नीति के तहत 1000 करोड़ रुपये के स्टार्टअप फंड और 400 करोड़ रुपये के डा. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) कार्पस फंड की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन स्थापित किया जाएगा। इससे प्रदेश में नवाचार आधारित उद्योगों को गति मिलेगी, 50 हजार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर का आकार देने की दिशा में मदद मिलेगी। अधिसूचना जारी होने के बाद नीति लागू कर दी जाएगी। कैबिनेट बैठक में 28 में से 27 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली, जबकि मदरसा शिक्षकों की ग्रेजुएट से संबंधित प्रस्ताव वापस ले लिया गया।

- प्रदेश को स्टार्टअप हब बनाने के लिए प्रोत्साहनों की वृद्धि, 400 करोड़ का एकेटीयू कार्पस फंड भी
- एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी हेल्थटेक व डीप-टेक स्टार्टअप्स को विशेष पैकेज



लखनऊ में सोमवार को अपने सरकारी आवास पर कैबिनेट की बैठक करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ • सूचना विभाग

कैबिनेट के बाद आइटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 17 हजार से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हैं। नई नीति में स्टार्टअप्स को आइडिया से लेकर विस्तार तक हर चरण में वित्तीय और संस्थागत सहायता मिलेगी। स्टार्टअप्स को एक वर्ष तक 17,500 रुपये प्रतिमाह मिलने वाले भरण पोषण भत्ते की राशि को बढ़ाकर दो वर्ष तक

20,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। प्रोटोटाइप अनुदान पांच लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये, जबकि सीड फंडिंग 7.5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी गई है। विशेष परिस्थितियों में यह सहायता 50 लाख रुपये तक दी जा सकेगी। संबंधित खबर >> 11



नवाचार की पहल
>> संपादकीय

होमगार्ड स्वयंसेवकों को मिलेगी पांच लाख तक के कैशलेस इलाज की सुविधा

राज्य ब्यूरो, जागरण • लखनऊ : राज्य सरकार ने होमगार्ड स्वयंसेवकों व उनके आश्रितों को पांच लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा देने का निर्णय लिया है। सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। स्वीकृत किए गए प्रस्ताव के अनुसार होमगार्ड्स विभाग में तैनात अवैतनिक अधिकारियों को भी कैशलेस इलाज की सुविधा के दायरे में लाया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सरकार के इस निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में होमगार्ड स्वयंसेवकों के 1,18,348 पद स्वीकृत हैं। इसके सापेक्ष 73,421 होमगार्ड तैनात हैं। वहीं, 41,424 होमगार्ड स्वयंसेवकों की नई भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इससे प्रदेश में होमगार्ड स्वयंसेवकों की संख्या 1.14 लाख से अधिक हो जाएगी।

कैबिनेट के अन्य निर्णय

शाहजहांपुर का जलालाबाद अब कहलाएगा 'परशुरामपुरी' >> 11

रायबरेली में बनेगा यूपी का पहला उद्यान महाविद्यालय >> 11

पशुओं का वीमा कराएगी सरकार पालक को देना होगा मात्र 15 प्रतिशत प्रीमियम >> 11